मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 14 मार्च, 2002 (फाल्गुन 23, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश ऊर्जा अधिनियम, 2001 (क्रमांक 12 सन् 2001) की धारा 10 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6383-3-36-2001-तेरह, दिनांक 8 अक्टूबर 2001,

(ख) विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (क्रमांक 14 सन् 1998) की धारा 59 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 919-वि.नि.आ.-2001, दिनांक 9 अक्टूबर 2001; तथा

(ग) मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001) की धारा 56 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 338-3-30-2001-तेरह, दिनांक 11 जनवरी 2002,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-6-2000-वि.क.-पांच (64), दिनांक 23 जुलाई 2001 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री राजमणि पटेल, सदस्य, रीवा जिले के सिरमौर क्षेत्र के डकैती प्रभावित गांवों से विशेष पुलिस बल के हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री हरिन्दरजीत सिंह "बब्बू", मुंशीलाल, सदस्य, गुना जिले के खिरिया में सिक्ख परिवार को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री शिवप्रसाद सिंह, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का पैंतालीसवां, छियालीसवां, सैंतालीसवां एवं अड़तालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. वन मंत्री का वक्तव्य

श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, दिनांक 5 नवम्बर, 2001 तथा दिनांक 17 मार्च, 1999 को पूछे गये क्रमशः परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्रमांक 345) एवं अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्रमांक 3649) के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) संशोधन विधेयक, 2002 (क्रमांक 2 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7. वर्ष 2002-2003 के अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय			
1 घन्टा	(1)	मांग संख्या - 33	आदिम जाति कल्याण
		मांग संख्या - 41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना.
	(2)	मांग संख्या - 06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या - 07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या - 74	वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें
		मांग संख्या - 89	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-वित्त विभाग.
	(3)	मांग संख्या - 13	कृषि
1 घन्टा		मांग संख्या - 52	कृषि विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें
		मांग संख्या - 54	कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय.
	(4)	मांग संख्या - 08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन
		मांग संख्या - 09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या - 28	राज्य विधान मण्डल
1 घन्टा		मांग संख्या - 31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या - 35	पुनर्वास
		मांग संख्या - 38	रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय
		मांग संख्या - 50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या - 58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
		मांग संख्या - 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
		मांग संख्या - 84	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-राजस्व.
	(5)	मांग संख्या - 10	वन
1 घन्टा		मांग संख्या - 36	परिवहन
		मांग संख्या - 71	जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित व्यय.
	(6)	मांग संख्या - 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
1 घन्टा		मांग संख्या - 42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
		मांग संख्या - 67	लोक निर्माण कार्य-भवन
		मांग संख्या - 76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें.
	(7)	मांग संख्या - 21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय
1 घन्टा		मांग संख्या - 27	स्कूल शिक्षा
		मांग संख्या - 73	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें
		मांग संख्या - 91	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-स्कूल शिक्षा.

डॉ.ए.के.पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 13 मार्च, 2002